1440/3-5211

15/09/2021

माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.01.2021 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.09.2021 को पूर्वान्ह 11:15 बजे लोक भवन स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.01.2021 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.09.2021 को लोक भवन स्थित सभाकक्ष में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

2– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.01.2021 एवं माननीय ओवर साईट कमेटी, एन0जी0टी0, लखनऊ द्वारा की गयी संस्तुति के अन्तर्गत रामगढ ताल के आस–पास के क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाये जाने, उक्त ताल में निस्तारित होने वाले घरेलू जल–मल को तत्काल बायोरेमिडेशन/ फाइटोरेमिडेशन के द्वारा शुद्धीकरण किये जाने, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत मगहर द्वारा एस0टी0पी0 की स्थापना, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना, नगर निगम गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का समुचित प्रबन्ध, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करने, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति तथा केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण से भू–जल दोहन हेतु अनापत्ति प्राप्त करने वाले उद्योगों को ही विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वाद की सुनवाई दिनांक 06.09.2021 को नियत है।

3– बैठक में माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 116/2014 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2021 का अनुपालन कराये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी:–

1. **नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत मगहर द्वारा एस0टी0पी0 की स्थापना किये जाने तक अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत घरेलू मल–जल के शुद्धिकरण हेतु बायोरेमिडेशन/फाइटो रेमिडेशन का कार्य :–**

उ0प्र0 जल निगम के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद में एस.टी.पी. की स्थापना हेतु डी0पी0आर0 (लागत रू0 46.32 करोड) एवं नगर पंचायत, मगहर में एस0टी0पी0 की स्थापना हेतु डी0पी0आर0 (लागत रू0 28.36 करोड) धनराशि का प्रस्ताव एस0एम0सी0जी0 के माध्यम से एन0एम0सी0जी0 को प्रेषित किया गया है तथा एन0एम0सी0जी0 द्वारा उक्त डी0पी0आर0 में आपत्ति करते हेतु वापस कर दिया गया है। नगर विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत मगहर में सीवेज शोधन हेतु फीकल स्लज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत घरेलू मल–जल के शुद्धिकरण हेतु बायोरेमिडेशन/फाइटो रेमिडेशन द्वारा नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत मगहर के नालो में शुद्धिकरण किया जा रहा है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर पंचायत, मगहर में एफ0एस0टी0पी0/एस0टी0पी0 की स्थापना हेतु त्वरित कार्यवाही की जाय तथा नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद में एफ0एस0टी0पी0/एस0टी0पी0 की स्थापना हेतु एन0एम0सी0जी0 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कराया जाय तथा आवश्यक धनराशि के वित्त पोषण के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन से सम्पर्क कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम एवं अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग)

MoM

CEO(C-6)/LO-I

13/9/21
(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

2. **गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, (गीडा), गोरखपुर द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना :–**

गीडा, गोरखपुर के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि रू0 62.50 करोड़ की लागत से 7.5 एमएलडी क्षमता का सी0ई0टी0पी0 की स्थापना प्रस्तावित है, जिसमें रू0 20 करोड़ की धनराशि अवस्थापना औद्योगिक विकास विभाग एवं रू0 17 करोड़ की धनराशि गीडा द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है तथा शेष धनराशि एन0एम0सी0जी0 से स्वीकृत की जानी है। एन0एम0सी0जी0 द्वारा डी0पी0आर0 की third party adequacy आई0आई0टी0, रूड़की द्वारा करायी गयी एवं आई0आई0टी0, रूडकी द्वारा डी0पी0आर0 में संशोधन हेतु सुझाव दिये गये। गीडा द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु 11.15 एकड़ भूमि को क्रय कर लिया गया है तथा यह भी अवगत करया गया कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करने तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में औपचारिकता पूर्ण करने हेतु परामर्शी का चयन भी कर लिया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि आई0आई0टी0, रूड़की द्वारा दिये गये सुझावों को समावेशित करते हुये संशोधित डी0पी0आर0 एक सप्ताह के अन्दर एन0एम0सी0जी0 को प्रेषित किया जाये एवं शेष धनराशि की स्वीकृति हेतु फालोअप कर डी0पी0आर0 को शीघ्र अनुमोदित कराया जाये। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में भी प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/एस0एम0सी0जी0/उ0प्र0 जल निगम एवं गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर)

3. **जल निगम द्वारा रामगढ़ ताल में निस्तारित होने वाले समस्त नालों को टैप किया जाना एवं अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत बायोरेमिडेशन/फाइटो रेमिडेशन के द्वारा नालों से निस्तारित उत्प्रवाह का शुद्धिकरणः–**

नगर विकास विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि रामगढ़ ताल में मुख्यतः 24 नालों द्वारा सीवेज निस्तारित होता है, जिसमें मुख्य 06 नालों के सीवेज का शुद्धिकरण एस0टी0पी0 द्वारा किया जा रहा है तथा शेष 18 नालों के शुद्धिकरण हेतु सीवेज नेटवर्क एवं 05 एम0 एल0डी0 एस0टी0पी0 की स्थापना का कार्य अमृत योजना एवं आर0के0वी0के0 परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। वर्तमान में अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत घरेलू मल–जल के शुद्धिकरण हेतु बायोरेमिडेशन/ फाइटो रेमिडेशन द्वारा उक्त 18 नालों का शुद्धिकरण किया जा रहा है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त सभी कार्य समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करा लिये जायें।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

4. **राप्ती नदी में निस्तारित होने वाले समस्त नालों को टैप किया जाना एवं अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत बायोरेमिडेशन/फाइटो रेमिडेशन के द्वारा नालों से निस्तारित उत्प्रवाह का शुद्धिकरणः–**

नगर विकास विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि गोरखपुर स्थित राप्ती नदी एवं उसकी सहायक नदियों में मुख्यतः 15 नालों द्वारा सीवेज निस्तारित

होता है, जिनके शुद्धिकरण हेतु डी0पी0आर0 तैयार किये गये हैं तथा उनकी स्वीकृति होनी है। वर्तमान में अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत घरेलू मल–जल के शुद्धिकरण हेतु बायोरेमिडेशन/ फाइटो रेमिडेशन द्वारा उक्त 15 नालों का शुद्धिकरण किया जा रहा है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि राप्ती नदी के उक्त 15 नालों के सीवेज शोधन हेतु डी0पी0आर0 के वित्त पोषण हेतु आवश्यक धनराशि के वित्त पोषण के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन से सम्पर्क कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम एवं अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग)

5. **सरयू नदी में निस्तारित होने वाले समस्त नालों को टैप किया जाना :–**

नगर विकास विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सरयू नदी में 22 नालों द्वारा सीवेज निस्तारित होता है, जिसमें 05 नाले टैप हैं तथा एस0टी0पी0 द्वारा सीवेज का शुद्धिकरण हो रहा है। शेष 16 नालों के सीवेज के शुद्धिकरण हेतु 06 एम0एल0डी0 एवं 33 एम0एल0डी0 क्षमता के 02 एस0टी0पी0 स्वीकृत है। फैजाबाद कैंट एरिया का 01 नाला तथा निर्मली कुण्ड की टैपिंग हेतु योजना अभी तैयार की जा रही है, जिसके लिये उ0प्र0 जल निगम द्वारा डी0पी0आर तैयार करने हेतु धनराशि की मांग नमामि गंगे विभाग से की गयी है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सरयू नदी के 16 नालों की टैपिंग एवं सीवेज शोधन हेतु प्रस्तावित एस0टी0पी0 की स्थापना का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।' उक्त के अतिरिक्त 01 नाला की डी0पी0आर0 तैयार कराकर उसके वित्त पोषण हेतु तत्काल वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन से सम्पर्क कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/नगर विकास विभाग/एस0एम0सी0जी0 एवं उ0प्र0 जल निगम)

6. **घाघरा नदी में निस्तारित होने वाले समस्त नालों को टैप किया जाना :–**

नगर विकास विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि घाघरा नदी में 14 नालों द्वारा सीवेज निस्तारित होता है तथा उक्त नालों के सीवेज के शुद्धिकरण हेतु 03 एस0टी0पी0 प्रस्तावित है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि घाघरा नदी के नालों के सीवेज शोधन हेतु डी0पी0आर0 के वित्त पोषण हेतु आवश्यक धनराशि के प्रस्ताव नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन से सम्पर्क कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/नगर विकास विभाग/एस0एम0सी0जी0 एवं उ0प्र0 जल निगम)

7. **नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के शुद्धिकरण, निस्तारण एवं लैण्डफिल साइट की स्थापनाः–**

नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के समुचित प्रबन्धन किये जाने के दृष्टिगत एम0एस0डब्लू0 प्रासेसिंग प्लान्ट की स्थापना एवं लैण्डफिल साइट का निर्माण किये जाने हेतु मगहर रोड पर ग्राम–सुथनी एवं भीटी रावत में 10.36 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर ली गयी है, जिसमें से 8.45 हेक्टेयर भूमि को

कय कर लिया गया है। एम0एस0डब्लू0 प्रासेसिंग प्लान्ट की स्थापना एवं लैण्डफिल साइट का निर्माण हेतु डी0पी0आर0 (लागत रू0 31.579 करोड़) जल निगम द्वारा, तैयार कर नगर विकास विभाग को प्रेषित की गयी है, डी0पी0आर0 में समय सीमा दिसम्बर, 2022 प्रस्तावित की गयी है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को शीघ्र अनुमोदित कराते हुए एम0एस0डब्लू0 फैसिलिटी की स्थापना की त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

8. **राप्ती, घाघरा, सरयू नदी के फ्लड प्लेन जोन एवं रामगढ़ ताल को वेटलैण्ड घोषित किये जाने के सम्बन्ध में :–**

सिचांई विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राप्ती, घाघरा, सरयू नदी के फ्लड प्लेन जोन एवं रामगढ़ ताल के वेटलैण्ड घोषित किये जाने संबधी नोटिफिकेशन कर दिया गया है तथा नदियों के फ्लड प्लेन जोन एवं रामगढ ताल के सीमांकन का कार्य प्रगति पर है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नदियों एवं रामगढ़ ताल के सीमांकन का कार्य शीघ्र पूर्ण कर तथा अतिक्रमण को प्रशासन के सहयोग से हटाते हुये आख्या 15 दिन में वन विभाग को उपलब्ध करायी जाये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि सिचाई विभाग, राप्ती, घाघरा एवं सरयू नदी के फ्लड प्लेन जोन के ऐसे क्षेत्र जो कि अतिक्रमित नही हैं मे भी ग्रामवार (ग्राम का नाम इंगित करते हुये) वृक्षारोपण हेतु सम्यक् प्रस्ताव तैयार कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध करायें ताकि उनमें मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार बायोडायवर्सिटी पार्क/वृक्षारोपण की स्थापना का कार्य किया जा सके।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, गृह/सिचाई/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, संबंधित जिलाधिकारी एवं गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर)

9. **भू–गर्भ जल दोहन के सम्बन्ध में:–**

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा इस आशय के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि औद्योगिक इकाईयों को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापनार्थ सहमति के बिना विद्युत संयोजन न किया जाय। उक्त के अतिरिक्त सी0जी0डब्लू0ए0 द्वारा दिनांक 24.09.2020 की अधिसूचना द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये भू–गर्भ जल दोहन प्रतिबन्धित किया गया एवं उल्लंघन की दशा में जिलाधिकारियों को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 भू–गर्भ जल विभाग औद्योगिक इकाईयों को भू–गर्भ जल विदोहन की अनुमति अधिनियम/नियम तथा समय–समय पर मा0 न्यायालय/एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही दी जाय ताकि अवैध औद्योगिक इकाईयों के संचालन पर प्रतिबंध प्रभावी हो सके।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति एवं भू–गर्भ जल विभाग)

10. **लखनऊ में सीवेज मैनेजमेन्ट के गैप को समाप्त किये जाने के संबंध में:–**

जल निगम के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ शहर में लगभग 784 एम0एल0डी0 सीवेज जनित होता है, जिसमें से वर्तमान में 445 एम0एल0डी0 क्षमता के 05 एस0टी0पी0 लखनऊ शहर में कार्यरत है। 120 एम0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 निर्माणाधीन है, जिसकी समय सीमा दिसम्बर, 2022 है तथा अतिरिक्त 29 एम0एल0डी0 एवं 01 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 प्रस्तावित एवं स्वीकृत है, जिनकी समय सीमा फरवरी, 2023 है। इसके अतिरिक्त 03 एस0टी0पी0 जिनकी क्षमता कमशः 22 एम0एल0डी0 80 एम0एल0डी0 एवं 85 एम0एल0डी0 है भी प्रस्तावित है तथा वित्तीय स्वीकृति अभी प्राप्त नही है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी प्रस्तावित एस0टी0पी0 का निर्माण समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाये एवं जो प्रस्ताव स्वीकृत नही है उनके वित्त पोषण हेतु तत्काल वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन से सम्पर्क स्थापित कर अपेक्षित कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

11. **लखनऊ शहर में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धनः–**

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन न किये जाने हेतु नगर निगम, लखनऊ के विरूद्ध रू0 14.4071 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि अधिरोपित की गयी है एवं एम0एस0डब्लू0 प्लान्ट आपरेटर मेसर्स इको ग्रीन इन्र्जी प्रा0लि0, सीवरी, लखनऊ के विरूद्ध रू0 25.3271 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि एम0एस0डब्लू0 प्लान्ट में डम्प लीगेसी वेस्ट के बायो रेमिडेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली धनराशि के सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जाये तथा लीगेसी वेस्ट के बायो रेमिडेशन कार्य की प्रगति पर्यावरण विभाग को सूचित करते हुए बायो–रेमेडियेशन का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

4– बैठक के अंत में निम्न निर्देश दिये गये :–

1) आमी, राप्ती, सरयू एवं घाघरा नदियों में गिरने वाले नालों की टैपिंग से संबंधित सीवेज नेटवर्क एवं एस0टी0पी0 की स्थापना से संबंधित परियोजनाएं, जो स्वीकृत हो चुकी हैं तथा जिनमें कार्य प्रारम्भ हो गया है उनमे कार्यों को त्वरित रूप से पूर्ण कराये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति तथा नगर विकास विभाग मासिक समीक्षा कर कार्यों को न्यूनतम अवधि में कार्ययोजना तैयार कर पूर्ण कराये।
2) जिन परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं हुई है उनकी प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति हेतु वित्त विभाग/एन0एम0सी0जी0 से सम्पर्क स्थापित कर अपेक्षित कार्यवाही की जाय।
3) कृत कार्यवाही की मासिक सूचना प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन ईमेल–**soenvups@rediffmail.com** एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ईमेल–**ms@uppcb.in** को प्रेषित की जाय ताकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी समय–समय से समीक्षा की जा सके।

4) मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्परता से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(समस्त सम्बन्धित विभाग)

अन्त में सभी उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद व्यक्त करते हुये बैठक समाप्त की गयी।

आशीष तिवारी
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–न.ग.ट.326/81–7–2021–44(रिट)/2016 टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 06 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/सिंचाई एवं जल संसाधन/भूगर्भ जल/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/चिकित्सा शिक्षा/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक, एस0एम0सी0जी0, लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
6. सदस्य सचिव, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।